न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया
जमानत आवेदन सं0–308/2026
गोगरी थाना काण्ड सं0–191/25

जिच्छु महतों – बनाम् – बिहार सरकार

उपस्थित
संजय कुमार–II,
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
खगड़िया।

28.03.2026

काराधीन आवेदक/अभियुक्त **जिच्छु महतों,** जो गोगरी थाना काण्ड सं0–191/25, धारा–25(1–बी)ए एवं 26 शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज मामले में दिनांक **03.08.2025** से काराधीन है, की ओर से शपथ–पत्र से समर्थित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री सनोज कुमार सिंह एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा उसने कोई आपराध कारित नहीं किया है। आवेदक की ओर से अन्य कोई जमानत आवेदन अन्य किसी वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक विरूद्ध अन्य एक आपराधिक मामला गोगरी थाना कांड सं0–192/25, अन्तर्गत धारा– 103(1), 238 भा0न्या0सं0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज है। प्राथमिकी के अनुसार, आवेदक के कमर से एक देशी पिस्तौल और 16 जिंदा कारतूस बरामद किए जाने का दावा किया गया है, लेकिन तलाशी, जब्ती एवं मार्किंग की पूरी प्रक्रिया केवल पुलिस अधिकारी के द्वारा हीं की गयी है, जो संदेहास्पद है। जब्ती सूची का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रस्तुत मामले में BNSS की धारा–105 का अनुपालन नहीं किया गया है। आवेदक मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार है तथा फरार नहीं होंगे। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान् अपर लोक अभियोजक के द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया।

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया
जमानत आवेदन सं0–308/2026
गोगरी थाना काण्ड सं0–191/25

लगातार
28.03.2026

सूचक अजीत कुमार, पु0नि0–सह–थानाध्यक्ष, गोगरी थाना के टंकित आवेदनानुसार, अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है सूचक को दिनांक 01.08.2025 को समय 10:30 बजे रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि एक आपसी विवाद में कन्हैया कुमार को जिच्छु महतों के द्वारा अपने सहयोगी साथियों के साथ गोली मारकर हत्या कर दी गयी है। प्राप्त सूचना के आधार पर सूचक पुलिस बल के साथ अपराधकर्मी जिच्छु महतों एवं इसके सहयोगी साथियों के विरुद्ध रेड छापामारी संभावित ठिकानों पर बारी–बारी की। इसी क्रम में, गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि जिच्छु महतों हर्वे–हथियार के साथ गिरफ्तारी के डर से गुप्त ठिकानों पर भागने की फिराक में है। सूचना पर दल–बल के साथ वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुये धनखेता रोड पहुँचा, जैसे हीं गुदरी स्थान के आस–पास बने गोदाम के सामने एक व्यक्ति पुलिस गाड़ी को देखकर भागने का प्रयास कर रहा है, इसे दल–बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। पकड़ाये व्यक्ति अपना नाम जिच्छु महतों बताया। स्थानीय ग्रामीण साक्षी बनने से इन्कार किया, तत्पश्चात् छापामारी दल से हीं संजय कुमार यादव एवं छेदी यादव को साक्षी बनाकर जिच्छु महतों का जमातलाशी लिया। तलाशी के क्रम में जिच्छु महतों के कमर से एक आसमानी रंग का बिंदौलिया में एक देशी कट्टा कमर के बायीं तरफ खोसा हुआ बरामद किया। बिंदौलिया का चेन खोला गया, तो इसके अन्दर .315 बोर का 16 जिंदा गोली, एक ओपो कंपनी का मोबाईल, एक काला रंग का नकाब (मास्क) को विधिवत जब्त किया गया। इसके द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा इसी हथियार से कन्हैया कुमार की हत्या किया गया। हत्या करने के बाद वह भागने के फिराक में था, तत्पश्चात् जिच्छु यादव को विधिवत् गिरफ्तार किया गया।

उभय पक्ष को सुना। अभिलेख एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि इस आपराधिक वाद में आवेदक के विरुद्ध ऊपरी अंकित धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया
जमानत आवेदन सं0–308/2026
गोगरी थाना काण्ड सं0–191/25

लगातार
28.03.2026

आवेदक पर अवैध हथियार एवं गोली रखने का गम्भीर आरोप है। अभिलेख पर सत्यापित जब्ती सूची उपलब्ध है, जिसके अनुसार, आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से एक देशी कट्‌टा एवं 16 पीस जिंदा कारतूस, एक ओपो कंपनी का मोबाईल एवं एक काला रंग का नकाब जैसा दिखने वाला मास्क बराबद किया गया है। जमानत ओवदन के पारा–3 के अनुसार, आवेदक विरूद्ध अन्य एक आपराधिक मामला गोगरी थाना कांड सं0–192/25, अन्तर्गत धारा–103(1), 238 BNS एवं 27 शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज है। आवेदक/अभियुक्त को घटनास्थल से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है तथा उसके विरूद्ध प्राथमिकी धाराओं के अन्तर्गत आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है, ऐसी दशा में उसे जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, मामले की प्रकृति एवं गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्,
खगड़िया।

Date of Judgement/Order	28.03.26
Date of Reserving Judgement/Order	—
Uploading Date	01.04.26
Uploading by	Nikish Kumar (D.C.)